FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

भैराराम बनाम बाबुराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० का० वि० 111,128 RLRAct नं. 64/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/03/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पूनड़ एड० ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/05/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/05/2020	पत्रावली आज पेश हुई। बिमारी कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/06/2020 को पेश हो। [signature]	
23/06/2020	पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 08/09/2020 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:30:30 IST
Reason: SelfAttested

03/09/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण [illegible]
तामील बावजूद अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार [illegible]
आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई
गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधि-
वक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के
विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी
के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के
अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के
खातेदारी खेत आस-पास आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थी-
गणों के खेतों के लिए जो पुरानी मेढे व कोठे बने
हुए है। जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर
गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के मेढो का
सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के मेढो को
लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के मेढो
को लेकर हमेशा विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी
को पत्थरबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी
का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबन्दी
आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर
प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभि-
लेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर
आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक
कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की
पत्थरबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें।
पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली फैसल
शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vy
Date: 2020.11.19 17:30:30
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 597 दिनांकः– 08/09/2020

राजस्व आवेदन संख्या –64 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री शेराराम पुत्र नगाराम वगैरा 25 जाति मेगवाल निवासी–खोखसर पूर्व, तहसील–गिडा जिला–बाड़मेर		श्री बाबूराम पुत्र भींयाराम वगैरा 25, निवासी– खोखसर पूर्व, तहसील–गिड़ा जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खोखसर पूर्व, पटवार मण्डल खोखसर, तहसील–गिडा, जिला–बाडमेर खेत खसरा नम्बर 1414 रकबा 59.01 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर कर तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः–08/09/2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 598-602
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, खोखसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री शेराराम पुत्र नगाराम वगैरा 25
4. विप्रार्थीगण श्री बाबूराम पुत्र भींयाराम वगैरा 25
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

विवेक व्यास 8.9.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek vyas
Date: 2020.11.19 17:30:30 IST
Reason: SelfAttested